समाचार पत्रों की कतरनें

दिसम्बर , 2025

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 1 दिसम्बर 2025
पेज न0–6, कालम–5,6

दिल्ली नंबर की बस का 14 हजार का चालान

हिमाचल दस्तक ▪ परवाणू

▪ परवाणू नाके पर अधूरे कागजात पर एआरटीओ की कार्रवाई

परवाणू नाके पर जांच के दौरान एआरटीओ टीम ने दिल्ली नंबर की एक प्राइवेट बस का 14 हजार का चालान किया। बस पटियाला से कालका काली माता मंदिर जा रही थी और चालक रास्ते की जानकारी न होने के चलते बाईपास मार्ग से कालका की ओर पहुंच गया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि बस के कागजात अधूरे हैं। एआरटीओ ने बस का एक दिन का टैक्स भी वसूला।

अधिकारियों के अनुसार बस मूल रूप से दिल्ली में पंजीकृत थी, जिसे बाद में पंजाब में बेच दिया गया। नए मालिक द्वारा पंजाब में पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है, लेकिन दस्तावेज अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए हैं। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि जब तक नए मालिकाना हक और रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी नहीं होती, बस को वैध दस्तावेजों के बिना सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। बस चालक और मालिक को आवश्यक दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 3 दिसम्बर 2025
पेज न0–3, कालम–5,6,7

नैशनल हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पहले ही मिल जाएगा अलर्ट

एजेंसी ▮ नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नैशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रिलायंस जियो के साथ मोबाइल आधारित सुरक्षा अलर्ट सिस्टम लागू करने के लिए समझौता किया है। इसके जरिये दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, धुंध प्रभावित इलाकों, आवारा पशुओं वाले स्थानों और आपातकालीन मार्ग परिवर्तनों के पास पहुंचने पर यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सऐप और उच्च प्राथमिकता कॉल के माध्यम से समय पर चेतावनी दी जाएगी। इसे एनएचएआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म 'राजमार्ग यात्रा' ऐप और हेल्पलाइन के साथ चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। इससे नैशनल हाईवे पर यात्रा और अधिक सुरक्षित हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को मोबाइल फोन पर पहले से चेतावनी दी जाएगी जब वे दुर्घटना-संभावित क्षेत्र, आवारा पशुओं वाले इलाके, धुंध प्रभावित क्षेत्र या आपातकालीन मार्ग परिवर्तनों के पास पहुंचेंगे। अलर्ट एसएमएस, व्हाट्सऐप और उच्च प्राथमिकता वाले कॉल के जरिये भेजे जाएंगे। एनएचएआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे 'राजमार्ग यात्रा' मोबाइल एप और आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 के साथ इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जाएगा। यह ऑटोमेटेड सिस्टम सभी जियो मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए काम करेगा और उन्हें खतरे वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सुरक्षित निर्णय लेने में मदद करेगा।

यात्रियों को मिलेगी महत्वपूर्ण जानकारी

एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह पहल नैशनल हाईवे यात्रियों को समय पर भरोसेमंद जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे सुरक्षित ड्राइविंग कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि यह तकनीक सक्षम रोड सुरक्षा प्रबंधन में नया मानक स्थापित करेगी। रिलायंस जियो के अध्यक्ष ज्योतिंद्र ठाकुर ने कहा कि यह पहल जियो के व्यापक नेटवर्क का उपयोग कर समय पर सुरक्षा अलर्ट प्रदान करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा और अधिक सुरक्षित और सूचित होगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 5 दिसम्बर 2025
पेज न0–5, कालम–3,4,5,6

ऊना में हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, प्रशासन बना मूकदर्शक

मालवाहक वाहनों में ढोए जा रहे यात्री

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

जिला ऊना में पिछले लंबे समय से छोटे भार ढोने वाले वाहनों (लोडिंग वाहनों) में अवैध रूप से यात्रियों को ढोया जा रहा है, जो न केवल कानून के प्रतिकूल है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बना हुआ है। ऊना-पुराना होशियारपुर रोड, मलाहत, घालुवाल तथा एमसी पार्क ऊना क्षेत्र में प्रतिदिन ऐसे कई वाहन धड़ल्ले से यात्रियों को ले जाते देखे जा सकते हैं। यह गतिविधि स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना है।

▮ निजी बस ऑपरेटर ने प्रशासन के प्रति जाहिर की नराजगी

बावजूद इसके जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इस मामले पर निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई करने पर नराजगी जाहिर की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर, जिलाध्यक्ष महिंद्र मनकोटिया, दिनेश सैणी, सुकेश ठाकर, पंकज दत्ता, विनोद ठाकुर का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट ने जिला ऊना प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी प्रकार के भार ढोने वाले वाहनों में यात्रियों की ढुलाई पूर्ण रूप से बंद की जाए। बावजूद इसके, जिला प्रशासन और जिला पुलिस की लापरवाही के चलते यह प्रयास आज भी बगैर रोक-टोक जारी है। स्थिति यह है कि दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट या ओवरस्पीड के चालान तो त्वरित गति से किए जा रहे हैं, परंतु यात्री सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन की चुप है। राजेश पराशर ने कहा कि यह भी अत्यंत चिंताजनक है कि मेंडी मेले, चिंतपूर्णी नवरात्र तथा बाबा बालक नाथ जी के मेलों के दौरान यह अवैध ढुलाई चरम पर पहुंच जाती है। यात्रियों की जान जोखिम में डालते हुए छोटे भार वाहनों को सार्वजनिक परिवहन की तरह प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रशासन मात्र दर्शक बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि भार ढोने वाले वाहनों में यात्रियों की ढुलाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। मेले-त्योहारों के समय विशेष निगरानी व टीमों की तैनाती की जाए।

उधर, जिलाधीश ऊना जतिन लाल ने कहा कि जल्द ही मालवाहक वाहनों में यात्रियों की ढुलाई को लेकर पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे, ताकि कानूनों की अवेहलना करने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।

अमर उजाला, दिनांक– 6 दिसम्बर 2025
पेज न0–2, कालम–2,3,4,5

अधिसूचना

उपमंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक सीमित रहेगा दायरा

प्रदेश में दौड़ेंगे ई-रिक्शा, 400 परमिट किए जाएंगे जारी

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला / धर्मशाला। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की मंजूरी दी है। राज्य के विभिन्न उप-मंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को यह आदेश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। कुल परमिटों की संख्या 400 होगी।

कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर में 30, धर्मशाला-मैक्लोडगंज में 36 परमिट, उप-मंडल चंबा (सदर) में पांच, भटियात में नौ, कल्पा, रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10,

नाहन उप-मंडल में 15, राजगढ़ में दो परमिट की अनुमति होगी। वहीं, जोगिंद्रनगर में 15, पधर में 35, सरकाघाट में पांच, धर्मपुर में पांच, उप-मंडल कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकुहल में 15, नग्गर में 15 परमिट,ठियोग में छह, रोहडू में 20, उप-मंडल कंडाघाट में तीन, अर्की में दो, नालागढ़ में 10, बद्दी में 15, ऊना जिला के हरोली उप-मंडल में 17, शेष ऊना जिला (ऊना मुख्यालय और अन्य क्षेत्र) में 20 परमिट की अनुमति होगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन उप-मंडलों, क्षेत्रों में केवल ई-रिक्शा के ही नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उप-मंडलों में ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा का परिचालन निषिद्ध रहेगा, हालांकि, यह प्रतिबंध राज्य में वैध परमिट के आधार पर पहले से चल रहे ऑटो-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत, अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उप-मंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा।

उन्होंने बताया कि एक बार जब ई-रिक्शा एक विशेष उप-मंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत हो जाता है, तो निर्धारित मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तित रहेगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला, स्थानांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वाहन उसी उप-मंडल की न्यायिक सीमाओं के भीतर संचालित होगा और निर्धारित दायरे से बाहर कोई भी परिचालन इस अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

द ट्रिब्यून, दिनांक– 6 दिसम्बर 2025
पेज न0–3, कालम–3,4,5

400 new e-rickshaw passenger permits to be issued in state

Can operate within 20-km radius of sub-divisions

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, DECEMBER 5

The government has authorised all Regional Transport Authorities (RTAs) to grant permits for 400 e-rickshaws in various subdivisions of the state.

A government spokesperson said here today that a fresh notification issued under Section 113 of the Motor Vehicles Act, 1988, allowed the Regional Transport Authorities to grant e-rickshaw passenger permits in various subdivisions, including Palampur and Dharamsala in Kangra, Chamba (Sadar) and Bhattiyat, Kalpa (Rekong Peo) and Sangla in Kinnaur and Nahan and Rajgarh in Sirmaur district. Besides, carriage permits would also be issued in Joginder nagar, Padhar, Sarkaghat

and Dharampur of Mandi district; Kullu, Bhuntar, Banjar, Manali, Patlikuhal and Naggar of Kullu district; Theog and Rohru in Shimla district; Kandaghat, Arki, Nalagarh and Baddi in Solan district and Haroli and Una and other areas in Una district.

The notification stated that only e-rickshaws would be permitted for new registrations in these areas. In the remaining subdivisions of the state, the operation of auto-rickshaws and e-rickshaws would continue to remain restricted. However, this restriction would not apply to auto-rickshaws already operating under valid permits.

It had also been clarified in the notification that every registered and authorised e-rickshaw would be allowed to operate only within a 20-km radius in the subdivision headquarters. Once an e-rickshaw was registered or authorised in a particular subdivision, its operational headquarters would remain permanent and could not be changed or shifted under any circumstances.

Besides, the vehicle must strictly operate within the judicial limits of the allotted subdivision and any operation beyond the permitted area would be treated as a violation of the notification and the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988.

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 8 दिसम्बर 2025
पेज न0–3, कालम–4,5,6

यातायात नियमों का पालन करें सभी पर्यटक : अनुपम कश्यप

हिमाचल दस्तक ■ ठियोग

■ कुफरी में विशेष सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान के दौरान बोले उपायुक्त

शिमला में आने वाले सभी पर्यटकों को यातायात नियमों का पालन करना होगा। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के नेतृत्व में रविवार को कुफरी में एक दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान के आयोजन के दौरान सैलानियों से यह आग्रह किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। सर्दियों में देश दुनिया से पर्यटक यहां घूमने आते हैं। ऐसे में यातायात नियमों के पालन को लेकर पर्यटकों को जागरूक करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह करते हुए कहा कि सीट बेल्ट, निर्धारित स्पीड, कार से संबंधित सभी सही दस्तावेज, नशे में वाहन न चलाने, सनरूफ से बाहर न निकलना आदि नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटक किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करते हैं तो वे जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बचाव कार्यों में आमजन की अहम भूमिका

उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बचाव कार्यों में आमजन को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह के पुनीत कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के समय वीडियो बनाने या फोटो खींचने से परहेज करना चाहिए और घायल की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी सुमेध शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इंटरसेप्टर के माध्यम से वाहनों की चेकिंग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि इस दौरान इंटरसेप्टर का सहयोग भी लिया गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत विश्व बैंक की मदद से इन वाहनों को खरीदा गया है। ये वाहन सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यातायात व्यवस्था सुधारने और अपराधों से निपटने के लिए, डेवलपर रडार, एल्को सेंसर, ब्लैक ग्लास डिटेक्ट सिस्टम, लेजर डिटेक्टर सिस्टम, जीपीएस और सीसीटीवी से लैस हैं ताकि वे रात में भी गश्त कर सकें और सबूत इकट्ठा कर सकें। इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ी है और वह अब रात की गश्त और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए इन इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 10 दिसम्बर 2025
पेज न0–5, कॉलम–1,2

इलेक्ट्रिक ऑटो की खुली अनुमति को रद करने की उठाई मांग

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ कुल्लू

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अब इलेक्ट्रिक ऑटो की भी अनुमति जारी कर दी है। ऐसे में जिला कुल्लू के विभिन्न उपमंडलों में भी अब इलेक्ट्रिक ऑटो की खुली अनुमति दी गई है और सरकार के द्वारा इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। लेकिन जिला कुल्लू में ऑटो चालक खुली अनुमति का विरोध कर रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि जहां पर ऑटो नहीं चल रहे हैं। वहीं पर इसकी अनुमति दी जाए, क्योंकि शहरों में पहले से ही सैकड़ों की संख्या में ऑटो चल रहे हैं और ऑटो चालक पार्किंग सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में ऑटो चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर से मिला और इस बारे उन्हें अवगत करवाया। हिमाचल ऑटो यूनियन के चेयरमैन राजकुमार ने बताया कि इलेक्ट्रिक ऑटो पहाड़ी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि न तो यहां पर चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं और न ही यहां पार्किंग की उचित व्यवस्था है। सरकार को चाहिए कि जिला कुल्लू के जिन इलाकों में अभी ऑटो नहीं है, वहां इसकी अनुमति दे ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके। कुल्लू ऑटो यूनियन के प्रधान भूषण कुमार ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर से मुलाकात की गई है और मांग रखी गई है कि इलेक्ट्रिक ऑटो की खुली अनुमति को रद किया जाए।

■ विधायक सुंदर ठाकुर से मिले कुल्लू के ऑटो चालक

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 11 दिसम्बर 2025
पेज न0–5, कॉलम–1,2,3

सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली निकाल कर वाहन चालकों को किया जागरुक

हिमाचल दस्तक ■ राजगढ़

राजकीय महाविद्यालय पझौता में वीरवार को सड़क सुरक्षा क्लब के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर श्लेच कैंची तक निकाली गई। रैली को महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर शिवानी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्राचार्या ने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। रैली सड़क सुरक्षा जागरुकता नारों से पूरे क्षेत्र को उद्घोषित करती हुई श्लेच कैंची में एकत्रित हुई। वहां रैली को बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा गुंजन शर्मा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में गुंजन ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों, पास से गुजरते वाहन चालकों और अन्य उपस्थित सामान्यजनों को सड़क दुर्घटनाओं की भयानक वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। गुंजन शर्मा ने यातायात नियमों के उल्लंघन और दुर्घटनाओं की आवृत्ति के अंतर संबंध को उल्लेखित करते हुए समाज पर दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों और नुकसानों से सभी को अवगत कराया। उद्बोधन के उपरांत, विद्यार्थियों ने गुजर रहे वाहन चालकों को पत्रक वितरित करके यातायात नियमों की अनुपालना के लिए जागरुक किया। रैली वापस महाविद्यालय परिसर पहुंची। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर शिवानी शर्मा ने सड़क सुरक्षा क्लब को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–13. **दिसम्बर** .2025
पेज न0–4, कॉलम–1,2,3

हड़कंप — कुल्लू जिला में यातायात नियम तोड़ने वालों पर आरटीओ फ्लाइंग टीम का चला डंडा

आठ महीनों में तीन करोड़ के चालान काटे

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू

जिला कुल्लू में यातायात नियमों की अवहेलना पर अब आरटीओ कार्यालय सख्त हो गया है। आरटीओ कार्यालय के द्वारा अप्रैल 2025 से लेकर 30 नवंबर तक तीन करोड़ रुपए के चालान काटे हैं। ऐसे में अभी तक एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल लिया गया हैं और बाकी जुर्माना वसूलने की भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ऐसे में जिला कुल्लू में यातायात नियमों की अवहेलना वाहन चालकों पर भारी पड़ रही है। जिला कुल्लू में आरटीओ फ्लाइंग के द्वारा विभिन्न इलाकों में अप्रैल से नवंबर माह तक नाके लगाए गए। ऐसे में फ्लाइंग टीम ने पाया कि कई ग्रामीण इलाकों में बिना टैक्सी परमिट के निजी वाहनों में सवारियां ढोई जा रही है, तो वहीं कई जगह पर टैक्सी चालकों के द्वारा अधिक संख्या में सवारियों को ढोया जा रहा है। मालवाहक वाहनों में भी यात्रियों को ढोने का मामला सामने आया। आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार साल 2023 में 11 करोड़ 25 लाख से अधिक राजस्व एकत्र किया था और साल 2024 में कार्यालय के द्वारा 16 करोड़ 62 लाख से अधिक का राजस्व एकत्र कर सरकार के खाते में जमा किया गया हैं।

- साल 2023 में 16 करोड़ से अधिक का राजस्व किया था एकत्र

ट्रैफिक रूल्ज तोड़ना पड़ेगा महंगा

आरटीओ कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया कि अप्रैल से लेकर नवबर माह तक तीन करोड़ के चालान काटे गए हैं। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय के द्वारा वाहन चालकों के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं, ताकि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन कर सके। निजी वाहन-टैक्सी और बस चालकों के द्वारा अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उन पर विभाग के अनुसार कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी।

हिमाचल दस्तक दिनांक–14. **दिसम्बर** .2025
पेज न0–6, कॉलम–1,2,3,4,5

रैली के माध्यम से बताए यातायात नियम

हिमाचल दस्तक ▮ सोलन

▮ रोड सेफ्टी क्लब की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम

राजकीय महाविद्यालय सोलन के रोड सेफ्टी क्लब द्वारा शनिवार को सड़क सुरक्षा शपथ एवं सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मनीषा कोहली ने छात्र-छात्राओं तथा महाविद्यालय के शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर से कोटला नाला चौक तक सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने नारों एवं स्लोगनों के माध्यम से आम लोगों तथा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। रोड सेफ्टी क्लब के संयोजक डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह शपथ ग्रहण एवं रैली सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई है तथा इस अभियान के तहत महाविद्यालय का रोड सेफ्टी क्लब विभिन्न गतिविधियाँ निरंतर संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि रैली में छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन में रोड सेफ्टी क्लब की सदस्य डॉ. वंदना गुप्ता, डॉ. रविराम, डॉ. कात्यायनी शर्मा, डॉ. अलीशा चौहान सहित महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर-शिक्षक वर्ग उपस्थित रहे।

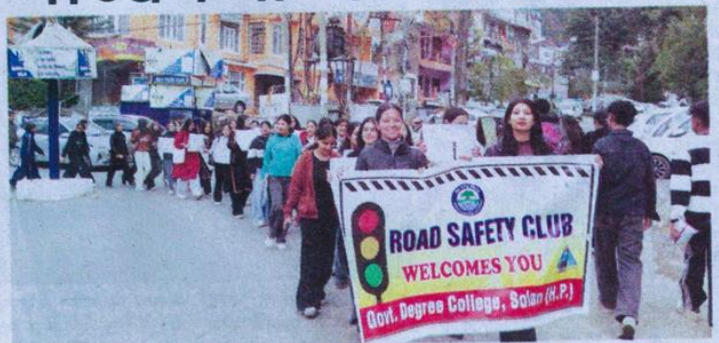

इस अवसर पर प्राचार्या डॉ. मनीषा कोहली ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं तथा आम जनमानस को सड़क सुरक्षा एंवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से ऐसे कार्यक्रमों में निरंतर सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

हिमाचल दस्तक दिनांक–19. **दिसम्बर** .2025
पेज न0–3, कॉलम–1,2

12 वाहनों के चालान कर 2.10 लाख जुर्माना वसूला

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▪ बीबीएन

▪ बीबीएन में यातायात नियमों के उल्लंघन पर आरटीओ नालागढ़ ने की सख्त कार्रवाई

आरटीओ नालागढ़ की ओर से औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में यातायात नियमों को धत्ता बताने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरटीओ की टीम ने खामियां पाए जाने की सूरत में वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला है। बीबीएन में आरटीओ नालागढ़ ने बुधवार को यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की। इस विशेष अभियान में करीब 40 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियम तोड़ने पर 12 वाहनों के चालान काटे गए और कुल 2.10 लाख का जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग का कहना है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने और दस्तावेज पूर्ण न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जानकारी के अनुसार आरटीओ नालागढ़ विपिन गुप्ता की अगुआई वाली टीम ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वाहनों पर कार्रवाई की और अनियमितताएं पाए जाने पर वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। इस दौरान बिना दस्तावेज, बिना परमिट व ओवरलोडिंग सहित जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी, उन्हें रोका गया और चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि अब किसी भी वाहन को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और वैध दस्तावेजों के चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं, आरटीओ विपिन गुप्ता ने बताया कि बीबीएन क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हिमाचल दस्तक दिनांक–20. **दिसम्बर** .2025
पेज न0–7, कॉलम–1,2,3

छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए

■ दौलतपुर चौक कॉलेज में सड़क सुरक्षा पर विशेष गेस्ट लेक्चर का आयोजन

हिमाचल दस्तक ■ दौलतपुर चौक

दौलतपुर चौक कॉलेज में रोड सेफ्टी क्लब के सौजन्य से सड़क सुरक्षा विषय पर एक विशेष गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में चौकी प्रभारी दौलतपुर चौक रवि पाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जबकि हेड कांस्टेबल अमन गुलेरिया ने भी शिरकत की। चौकी प्रभारी रवि पाल ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की विस्तृत जानकारी दी और सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों पर प्रकाश डालते हुए हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग, यातायात संकेतों के पालन और सुरक्षित वाहन चालन के महत्व को समझाया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए चिट्टा जैसे घातक नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार शर्मा ने कहा कि युवाओं की जागरूकता ही एक सुरक्षित और जिम्मेदार समाज की मजबूत नींव है। इस अवसर पर रोड सेफ्टी क्लब के कन्वीनर डॉ. सतेंद्र कुमार, प्रोफेसर श्रेया भारद्वाज, डॉ. मनीषा, प्रोफेसर निधि तथा एनसीसी के केयरटेकर प्रोफेसर अर्श सिंह राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक दिनांक–22. दिसम्बर .2025
पेज न0–5, कॉलम–3,4,5

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर जोर

हिमाचल दस्तक ▮ नाहन

▮ बढ़ते कोहरे व यातायात की चुनौतियों को देखते हुए सड़क सुरक्षा क्लब नाहन ने जारी किया परामर्श

सिरमौर जिला में बढ़ते कोहरे और यातायात की चुनौतियों को देखते हुए सड़क सुरक्षा क्लब नाहन ने वाहन चालकों के लिए कड़ा परामर्श जारी किया है। क्लब के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस समय जिला के मैदानी और ऊपरी इलाकों में भारी कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें और सुरक्षित सफर के लिए गति सीमा का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपकी जान बचाने के लिए भी सबसे जरूरी है। नरेंद्र तोमर ने शहर के भीतर पार्किंग व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाले एंबुलेंस मार्ग पर वाहन खड़े न करें। सड़कों के किनारे की गई इलीगल पार्किंग के कारण आपातकालीन सेवाओं में बाधा आती है, जो किसी भी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तोमर ने स्पष्ट किया कि लोग अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। उन्होंने जानकारी दी कि स्थानीय विधायक और सड़क सुरक्षा क्लब के विशेष प्रयासों से पार्किंग के रेट भी काफी कम किए जा चुके हैं। क्लब के अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि सस्ती पार्किंग उपलब्ध होने के बावजूद यदि लोग सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ी पार्क करते हैं, तो उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा चालान की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमर उजाला, दिनांक–25 दिसम्बर .2025
पेज न0–10, कॉलम–6,7

सड़क सुरक्षा पर फिल्म बनाकर 25 हजार रुपये जीतने का मौका

18 और अधिक आयु के व्यक्ति ले सकेंगे महोत्सव में भाग

हमीरपुर। लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए परिवहन निदेशालय की ओर से सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तहत 18 या इससे अधिक आयु के व्यक्ति सड़क सुरक्षा पर शॉर्ट फिल्म या वीडियो बनाकर परिवहन विभाग को ई-मेल या विभाग के कार्यालय के पास उपलब्ध करवा सकते हैं।

प्रतिभागी 15 फरवरी 2026 तक वीडियो भेज सकते हैं। शॉर्ट फिल्म में थीम सुरक्षा सुरक्षा रहेगा। वीडियो व शॉर्ट फिल्म हिंदी व अंग्रेजी भाषा में बनेंगी और पांच मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिल्म महोत्सव में देश व प्रदेश का व्यक्ति भाग ले सकता है। परिवहन निदेशालय की ओर से बेहतरीन वीडियो का चयन किया जाएगा।

इसके बाद 18-25 आयु, 25-32, 32-40 और 40 से अधिक आयु के प्रतिभागियों की ओर से बनाई गई वीडियो पर 25-25 हजार रुपये कैश और ट्रॉफी दी जाएगी। 20 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को पांच हजार रुपये दिए जाएंगे।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि परिवहन निदेशालय की ओर से सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। संवाद